रतनसिंह - चावला एण्ड नम्बर, 09/22

दिनांक	आज्ञा पत्र
16.7.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1.8.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 09/2022

1 रतन सिंह पुत्र पीथसिंह उम्र वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम जुलियासर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

अपीलांट

बनाम

1 चावला एण्ड बब्बर इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड, ई–3171 2 फ्लोर निर्माण बिहार दिल्ली 92 जरिये राजेश बब्बर पुत्र रामलाल बब्बर जाति महाजन निवासी आई–20 ग्रामा–2 ग्रेड नोएडा जिला गौतमपुर नगर दिल्ली।

2 गिरधारीलाल (मृत)

2/1 मांगीलाल

2/2 अशोक

2/3 मूलचन्द

पुत्रगण गिरधारीलाल समस्त जाति पुरोहित निवासीगण ग्राम जुलियासर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

3 पूर्णमल पुत्र छतुराम जाति पुरोहित निवासी ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

4 श्रवण सिंह पुत्र ईश्वरसिंह

5 दीवाल सिंह पुत्र ईश्वरसिंह

6 चौथमल पुत्र बंशीधर

7 बृजमोहन (मृत)

7/1 नवरतन पुत्र बृजमोहन

7/2 अमित पुत्र बृजमोहन

समस्त जाति सोनी निवासी जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 रूपसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

9 हनुमान सिंह (मृत)

9/1 जगदीश सिंह पुत्र हनुतसिंह

9/2 दशरथ सिंह पुत्र हनुतसिंह

9/3 किरण कंवर पुत्री हनुतसिंह

9/4 संजन कंवर पत्नी कल्याण सिंह

9/5 खुशबु पुत्री कल्याण सिंह

9/6 आदित्य पुत्र कल्याण सिंह

10 मूल कंवर (मृत)

11 उम्मेद सिंह पुत्र पीथसिंह

12 लूण सिंह (मृत)

12/1 सुप्यार कंवर पत्नी लूणसिंह

12/2 दुर्गा कंवर पुत्री लूणसिंह

12/3 सुमन कंवर पुत्री लूणसिंह

12/4 नरेन्द्र सिंह पुत्री लूणसिंह

12/5 विरेन्द्र सिंह पुत्र लूणसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

13 श्रवण सिंह पुत्री रेवत सिंह जाति राजपूत निवासी जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

14 दीनदयाल डिडवानिया पुत्र मदनलाल डिडवानिया जाति अग्रवाल महाजन निवासी 16 नम्बर एन.एस. रोड़ कोलकता 7000001

15 श्रीकिशन पुजारी पुत्र सुशील कुमार पुजारी जाति ब्राह्मण निवासी सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू।

16 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टेर(फा.ट्रे.) लक्षमणगढ़ दावा संख्या 261/2013 उनवानी राजेश बब्बर आदि बनाम गिरधारीलाल आदि दिनांकित 20.05.2014

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः–01.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टेर लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 261/2013 में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा तथा रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर 203, 204 वाके ग्राम जुलियासर पटवार हल्का मंगलूणा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चावला एण्ड बब्बर इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड, ई 3171/2 फ्लोर निर्माण बिहार दिल्ली 92 की ओर से जरिये राजेश बब्बर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है परन्तु उक्त राजेश बब्बर को अपीलाधीन वाद किस हैसियत से प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है ऐसा कोई तथ्य न तो वाद पत्र में अंकित किया गया तथा न ही ऐसा कोई सबूत ही प्रस्तुत किया गया। इस कारण दावा ही प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा नियमित वाद में अपनायी जाने वाली प्रथम प्रक्रिया पक्षकारान की तामीली कार्यवाही की ही पालना नहीं की गई। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार, काश्तकार को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 20.05.2014 पारित किये जाने से पूर्व सूचना व सुनवाई का कोई अवसर प्रदत्त नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन बंटवारे के दावे में बिना कोई प्राथमिक डिक्री पारित किये बिना अवैध रूप से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने का आदेश पारित करते हुए प्रक्रियात्मक विधि के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 20.05.2014 पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के जिस विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.05.2014 के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 20.05.2014 पारित की गई वह विभाजन प्रस्ताव ही पूर्णतया अवैध है जिसे तैयार करते समय न तो खातेदारान को सूचित किया गया है तथा न ही मौके पर जाकर तैयार किया गया है बल्कि बसाजिश अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 16 तहसील कार्यालय बैठकर ही तैयार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी तरह की आपत्ति प्रस्तुति का कोई अवसर अपीलांट को नहीं दिया गया जबकि विभाजन प्रस्ताव में दर्शित 203/2 वाली जगह पर अपीलांट को आवासीय मकान बना हुआ है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 20.05.2014 स्थिर रहने योग्य नहीं है। जानकारी से अन्दर मियाद आवेदन धारा 5 के साथ अपील प्रस्तुत है। ऐसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते

स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा नियमित वाद में अपनायी जाने वाली प्रथम प्रकिया पक्षकारान की तामीली कार्यवाही की ही पालना नहीं की गई है। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार, काश्तकार को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांकित 20.05.2014 पारित किये जाने से पूर्व सूचना व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन बंटवारे के दावे में बिना कोई प्राथमिक डिकी पारित किये बिना अवैध रूप से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने का आदेश पारित करते हुए प्रकियात्मक विधि के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांकित 20.05.2014 पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के जिस विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.05.2014 के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांकित 20.05.2014 पारित की गई वह विभाजन प्रस्ताव ही पूर्णतया अवैध है जिसे तैयार करते समय न तो खातेदारान को सूचित किया गया है तथा न ही मौके पर जाकर तैयार किया गया है विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी तरह की आपत्ति प्रस्तुति का कोई अवसर अपीलांट को नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 01.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी, एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर